संख्या–4082 / 71–आयुष–1–2015–वि0प0–08 / 2011

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
आयुर्वेद सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

2– निदेशक,
यूनानी सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

आयुष अनुभाग–1

लखनऊः दिनांक 14 अक्टूबर, 2015

विषयः उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक–2015 के अर्न्तगत आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकने वाली औषधियों की अधिसूचना दिनांक 09.10.2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–2224 / 79–बी0–1–15–1(क) 18–2015 दिनांक 09 सितम्बर 2015 के अर्न्तगत आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकने वाली आधुनिक औषधियों की अधिसूचना दिनांक 09.10.2015 को निर्गत कर दी गयी है। उक्त अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नकः– यथोक्त्।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

संख्या– 4082(1) / 71–आयुष–1–2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– रजिस्ट्रार आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ।
5– गोपन अनुभाग–1
6– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद की 02 प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे आगामी अंक के असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए 1000 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

D:\Shri pal ji\new G.O..doc /shubham

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–1
संख्या– 3223 /71–आयुष–1–2015–वि0प0–8 / 2011
लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना
आदेश

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या–23, सन् 1940) के अधीन बनायी गयी औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम–2 के खण्ड (ङ ङ) के उपखण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या–48, सन् 1970) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्हता रखने वाले और संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1939) के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, नीचे अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक चिकित्सा पद्धति की औषधि के प्रयोग के लिए उस सीमा तक हकदार होंगें जहॉ तक उन्हें उत्तर प्रदेश के उक्त अधिनियम, सन् 1970 के अधीन केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा समय–समय पर विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया हो।

जन स्वास्थ्य प्रसुविधाओं में संलग्न आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को प्रजनन, मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ ऐसी औषधियॉ विहित करने एवं कार्यविधि अपनाने की अनुमति होगी, जैसा उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से परामर्श कर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त विहित की गयी हो।

:– अनुसूची :–

उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकने वाली औषधियॉ

- एण्टासिड्स, एच–2 रिसेप्टर्स ब्लाकर्स, प्रोटॉन पम्प इनहिब्टिर्स, एण्टीहिस्टेमिनिक
- जीवाणुनाशक (एण्टीबॉयोटिक्स)–कोट्राइमैक्सेजोल, ट्राइमिथोप्रिम, नॉरफ्लॉक्सेसिन, क्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, जेन्टामाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, इराइथ्रोमाइसिन, नाइट्रोफ्यूरेटॉइन, मेट्रोनिडेजोल, टिनिडेजोल, एम्पिसिलिन
  डी0आई0डी0 राजयक्ष्मानाशक– आई0एन0एच0, रिफेमपिसिन, इथेमब्यूटोल, पाइराजिनामाइड
- कृमिनाशक – मेबेन्डाजोल, एलबेन्डाजोल
- मलेरिया नाशक– क्लोरोक्वीन क्विनीन, प्राइमाक्वीन, सल्फाडाक्सिन, पाइरीमिथेमाइड
- कुष्ठनाशक–डेपसोन, रफेम्पसिन, क्लोफेजिमाइन
- अमीबानाशक–मैट्रोनिडेलोज, टिनिडेजोल, डूलैक्सानाइड फूरोएट

- कण्डूनाशक (एण्टीस्केबीज)--बेन्जाइल बेन
  गामा बेनजीन हैक्साक्लोराइड
- स्थानिक फफूँदीरोधक (टापिकल एण्टीफंगल)
- विषाणुनाशक (एण्टीवायरल)
- एण्टीकोलिनर्जिक–डाइसाइक्लोमिन
- वमनरोधी (एण्टी इमेटिक)
- ज्वरघ्न एवं वेदनाशामक (एण्टीपाइरेटिक–एनॉलजेसिक)
- मृदुविरेचक (लेक्जेटिव)
- मौखिक पुर्नजलीकरण घोल (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन)
- लौहतत्व एवं विटामिन (हिमेटिनिक्स एण्ड विटामिन्स)
- श्वासनली विस्फारक (ब्रॉन्कोडाइलेटर) साल्बूटामोल, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन
- कफ निस्सारक (एक्सपेक्टोरेन्ट)
- मौखिक गर्भनिरोधक गोली (ओरल कन्ट्रासेप्टिव)
- जेनशियन वॉयलेट 1% सॉल्यूशनस
- माइकोनेजोल 1% कीम
- विटामिन ए लिक्विड
- विटामिन बी काम्पलेक्स
- फालिक एसिड टैब
- जाइलोकेन लोकल
- मेथाइलअर्गोमेट्राइन टेब्लेट

<u>महत्वपूर्ण</u>

गम्भीर रूप से सभी बीमार रोगियों की प्रारम्भिक देखभाल / प्रारम्भिक चिकित्सा के उपरान्त उन्हें रेफर किया जाना।

<u>न किये जाने वाले कार्य</u>

1–चिकित्सा विधिक प्रकरण (मेडिकोलीगल)

2–शवच्छेदन (पोस्टमार्टम)

3–अन्तःशिरा सूची (आई0वी0 इन्जेक्शन)

4–शुद्ध आयुर्वेदिक / यूनानी शल्यकर्म यथा क्षारसूत्र से भिन्न शल्यकर्म।

आज्ञा से,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)

प्रमुख सचिव

Uttar Pradesh Shasan
Ayush Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 3223/71-Ayush-1-2015 vi-pa-8/2011 for general information.

NOTIFICATION
ORDER

No 3223 /71-Ayush-1-2015 vi-pa-8/2011
Lucknow, Dated 09 October ,2015

In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (ee) of rule 2 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 made under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Act no.23 of 1940) the Governor is pleased to declare that the persons holding the qualifications specified in the Second, Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (Act no.48 of 1970) and registered under the United Provinces Indian Medicine Act, 1939 (Act no. 10 of 1939) shall be entitled to practice the Drugs of Modern System of Medicine mentioned in the Schedule below, to the extent of training imparted to them as per the syllabus prescribed from time to time by the Central Council of Indian Medicine under the said Act of 1970.

Ayurvedic and Unani practitioners in public health facilities may be allowed to prescribe such medicines and undertake such procedures after being imparted such training as may be specified by the Medical Education Department in consultation with Medical, Health and Family Welfare Department for the purposes of the Reproduction, Maternal, Neonatal and Child Health+Adolescent Health Programmes.

SCHEDULE

DRUGS THAT CAN BE PRESCRIBED BY A REGISTERED AYURVEDIC OR UNANI PRACTITIONERS WITH IN STATE OF UTTAR PRADESH.

Antacids, H2 receptors blockers, proton pump inhibitors, Antihistaminic.
Antibiotics-Cotrimaxazole,Trimethoprim,Norfloxacine,
quinolones,tetracycline,gentamycine,cephalosporin,erythromycin,
nitrofuratoin, metronidazole, tinidazole, ampicillin.
DID Antitubercular- INH, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide.
Anithelminthics- Mebandazole, albendazole
Antimalerials- Chloroquine, quinine, primaquine, sulfadoxine, pyrimethamide.
Antileprosy- Dapsone, rifampcin, colfazimine.
Antiamoebic- Metronidazole, tinidazole, doolaxanide furoate.
Antiscabies- Benzyle benzoate, gama benzene hexachloride.
Topical antifungal-
Antiviral
Anticholinergic- Dicyclomine
Antiemetics

Shubham/UO

Antipyretics-analgesics
Laxatives
Oral rehydration solutions
Hematinics and vitamins
Bronchodilators- Salbutamol, theophyline, aminophyline
Expectorants
Oral Contraceptives.
Gentian violet 1% solutions
Miconazole 1 % Cream
Vitamin A liquid
Vitamin B complex
Folic Acid Tab
Xylocaine local
Methylergometrine tablets

IMPORTANT

Referral of all sick patients after initial management/ First Aid

Procedure not to be performed.

Medicolegal Cases
Postmortem
Intravenous Injection
Surgical Procedures other than pure Ayurvedic/Unani Surgical procedur
like Ksharsutra etc.

By order,

(Anup Chandra Panday)
Principal Secretary

Shubham/UO

क्रम संख्या–258

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 9 सितम्बर, 2015

भाद्रपद 18, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1224/79-वि-1–15-1(क)18-2015

लखनऊ, 9 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2015 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 2015

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2015]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1939 की धारा 39 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 की धारा 39 में, उपधारा (4) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(घ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 48 सन् 1970) की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अर्हता रखने वाले आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, के व्यवसाय के लिये उस सीमा तक पात्र होंगे जहाँ तक वे उक्त पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा उस आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा के साथ अधिसूचित किये गये हों जिसमें वे राज्य के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं।"

उद्देश्य और कारण

प्रदेश के समस्त जनपदों में, विशेष रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों (एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारकों) की कमी है। जबकि काफी संख्या में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक (आयुर्वेद अथवा यूनानी डिग्री धारक) वहाँ उपलब्ध हैं। आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों पर आधुनिक औषधियों को लिखने पर प्रतिबन्ध होने के कारण रोगियों को उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए यथावश्यक उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता था। अतएव, यह आवश्यक हो गया है कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को आधुनिक औषधियों को लिखने के लिए कतिपय विधिक संरक्षणात्मक उपायों के साथ प्राधिकृत किया जाये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विषम/प्रारम्भिक/आपातकालीन परिस्थितियों में रोगी को त्वरित एवं प्रभावी उपचार प्राप्त हो सके।

उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 10 सन् 1939) में संशोधन करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, के व्यवसाय के लिये उस सीमा तक प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध किया जाये जहाँ तक वे उक्त पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा उस आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा के साथ अधिसूचित किये गये हों जिसमें वे राज्य पंजिका में पंजीकृत हैं।

तदनुसार उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 1224(2)/LXXIX-V-1–15-1(Ka)-18-2015

Dated Lucknow, September 9, 2015

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Indian Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2015) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2015 :–

THE UTTAR PRADESH INDIAN MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 2015

[U.P. ACT NO. 10 OF 2015]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Indian Medicine Act, 1939.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Indian Medicine (Amendment) Act, 2015.

2. In section 39 of the United Provinces Indian Medicine Act, 1939, in sub-section (4) *after* clause (c) the following clause shall be *inserted*, namely :– Amendment of section 39 of U.P. Act no. 10 of 1939

"(d) The registered practitioners of Ayurvedic or Unani System of Medicine holding the qualifications mentioned in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (Act no. 48 of 1970) shall be eligible to practice the modern system of medicine known as allopathic medicine to the extent of training they have received in the system and notified by the State Government along with the Ayurvedic or Unani Medicine in which they are registered in the State Register."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In all districts of the State, especially in remote rural areas, there is scarcity of doctors of modern system of medicine (M.B.B.S. degree holders) to provide cheap and quality medical facility. Whereas large number of doctors of Indian System of Medicine (Ayurvedic and Unani degree holders) are available there. Ayurvedic and Unani doctors are banned to prescribe modern medicine due to which patient could not get such treatment as are necessary for their quick recovery. It has therefore become necessary that with some legal protective measures, Ayurvedic and Unani doctors should be authorised to practice modern medicine, so that in rural areas in odd/ preliminary/ emergency conditions patient may get immediate and effective treatment.

Keeping in view of the aforesaid situation it has been decided to amend the United Provinces Indian Medicine Act, 1939 (U.P. Act no. X of 1939) to provide for authorising Ayurvedic and Unani doctors to practice the modern system of medicine known as allopathic medicine to the extent of training they have received in the system and notified by the State Government along with the Ayurvedic or Unani Medicine in which they are registered in the State Register.

The Uttar Pradesh Indian Medicine (Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 494 राजपत्र(हि0)–2015–(1162)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 64 सा0 विधायी–2015–(1163)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।